मुख्य नीतिगत पहलें, शुरू की गई स्कीमें, किए गए नवाचार और लिए गए निर्णय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अति आवश्यक राहत देने के लिए पिछले 8 वर्षों के दौरान निम्नलिखित मुख्य नीतिगत निर्णय और पहलें/उपलब्धियां हासिल की हैं:-

(i) पेंशन

- भारत सरकार ने नवंबर, 2015 में वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) को कार्यान्वित करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया था और ओआरओपी के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 7.11.2015 को आदेश जारी किए थे । सरकार ने चौथे, पांचवें और छठें वेतन आयोग की अवधियों (केवल नौ सैनिकों के लिए तीसरे वेतन आयोग सहित) के दौरान विभिन्न रैंकों में सेवानिवृत्त/दिवंगत सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए नोशनल वेतन निर्धारण हेतु दिनांक 17.10.2018 के पत्र द्वारा कॉन्कार्डेंस टेबल जारी करके ओआरओपी का कार्यान्वयन किया है । तदनुसार ओआरओपी के संबंध में 25 लाख रक्षा पेंशनरों में से 20.60 लाख भूतपूर्व सैनिकों को लाभ प्राप्त हुआ है । ओआरओपी के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 20,60,220 रक्षा बल पेंशनरों को बकाया के रूप में 10795.4 करोड़ रू. धनराशि संवितरित की गई है । वार्षिक अनुमानित आवर्ती व्यय लगभग 7123 करोड़ रू. है ।
- फरवरी, 2020 में वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त् आनरेरी नायब सूबेदार (एचएनएस) की काफी समय से लंबित मांग सरकार द्वारा पूरी कर दी गई थी । दिनांक 1.1.2006 के पश्चात सेवानिवृत्त ऐसे हवलदार जिन्हें नायब सूबेदार की आनरेरी रैंक दी गई थी, की पेंशन के संशोधन का लाभ 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त ऐसे हवलदारों जिन्हें नायब सूबेदारों की आनरेरी रैंक दी गई थी, को 1.1.2006 से बढ़ा दिया गया है । इस निर्णय से वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त लगभग 75,250 एचएनएस को लाभ प्राप्त हुआ है ।

- सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिक जो 7 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा से कम में ही दिवंगत हो गए/सेवा के लिए इनवैलिड करार दिए गए, के लिए बढ़ी हुई दर से सामान्य कुटुम्ब पेंशन देने के लिए निरंतर सेवा की 7 वर्ष की न्यूनतम आवश्यकता की शर्त को समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है । इसके अलावा, 7 वर्ष की नियमित सेवा पूरी किए बिना अक्टूबर, 2019 के प्रथम दिन से पहले 10 वर्ष के भीतर दिवंगत होने वाले रक्षा कार्मिकों के मामले में उनका परिवार भी दिनांक 1.10.2019 से बढ़ी हुई दरों पर कुटुम्ब पेंशन का पात्र होगा ।
- इस विभाग के एक डेडिकेटिड पेंशन शिकायत प्रकोष्ठ है जो ईएसएम/पेंशनरों की शिकायतों की देखरेख करता है जिसके परिणामस्वरूप एक बेहतर शिकायत निवारण प्रणाली विकसित हुई है । शिकायत निवारण का समग्र प्रतिशत 97% है । सघन अनुवर्तन संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श और साप्ताहिक समीक्षा से इसे प्राप्त किया गया है । शिकायतों के निवारण और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए 30 दिन की अल्प समय सीमा में सख्त अनुपालन के साथ ऊपर बताई गई पहलों के प्रभाव से औसत निस्तारण समय वर्ष 2014 में 87 दिन से घटकर वर्ष 2018 में 25 दिन और वर्ष 2020-21 में घटकर 21-27 दिन हो गया है । किए गए उपरोक्त प्रयास शिकायतों में कमी करने के लिए निस्तारण समय घटाने और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ वार्ता और विचार विमर्श को बढ़ावा देने तथा ईएसएम की शिकायतों के निवारण हेतु राज्य सैनिक बोर्डों (आरएसबी)/जिला सैनिक बोर्डों (जेडएसबी) को भी संवेदनशील बनाने के हमारे संगठित प्रयासों को रेखांकित करते हैं ।
- सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों जिनके भुगतान का संवितरण पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (रक्षा) जिसे सामान्यतः स्पर्श एप्लीकेशन कहा जाता है की ग्रेच्युटी, पेंशन की कम्यूटिड वेल्यू, अनुग्रहपूर्वक भुगतान, मासिक पेंशन इत्यादि के लिए फिजीकली या अन्यथा (बायोमीट्रिक या जीवन प्रमाण द्वारा) जीवन प्रमाणन आवश्यक नहीं है ।

- दिव्यांग बच्चा/सहोदर यदि ऐसे दिव्यांग बच्चे/सहोदर की आय कुटुम्ब पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से उस पर मिलने वाले मंहगाई भत्ते सहित 9000/- रू. प्रतिमाह से अधिक नहीं है, कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र था । अब रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 28.09.2021 के पत्र द्वारा मानसिक या शारीरिक दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चों/सहोदरों के कुटुम्ब पेंशन देने के लिए आय का मानदंड बढ़ाने का निर्णय लिया है। तदनुसार ऐसे बच्चे/सहोदर जीवनभर कुटुम्ब पेंशन के हकदार होंगे बशर्ते कि उनकी आय सामान्य दर से पात्र कुटुम्ब पेंशन अर्थात संबंधित दिवंगत सरकारी सेवक, पेंशनर द्वारा आहरित अंतिम वेतन सहित उस पर स्वीकार्य मंहगाई भत्ते के 30% की दर से पात्र कुटुम्ब पेंशन से कम हो । ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ दिनांक 08.02.2021 से प्राप्त होंगे ।
- 7वीं सीपीसी के पश्चात सरकार में अधिकतम आय 2,50,000/- रू. प्रतिमाह संशोधित की गई है । तदनुसार, पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग (डीओपीएंड पर डब्ल्यू) ने दिनांक 01.01.2016 से माता-पिता दोनों के संबंध में एक बच्चे/बच्चों को देय दो कुटुम्ब पेंशन की अधिकतम उच्चतमांक सीमाएं 1,25,000/- रू. प्रतिमाह (बढ़ी हुई दर से साधारण पेंशन-2,50,000/- रू. का 50%) और 75,000/- रू. प्रतिमाह (से 2,50,000/- रू. साधारण कुटुम्ब पेंशन का 30%) संशोधित की है । रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 29.10.2021 के आदेश द्वारा 01.01.2016 से इसे सभी सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए विस्तारित कर दिया गया है ।
- ईएसएम और उनके आश्रितों को कुटुम्ब पेंशन सहित पेंशन संबंधी शिकायतों के त्वरित निपटान हेतु दिनांक 14.01.2022 को एक समर्पित रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल (https://rakshapension.desw.gov.in) डिजाइन किया गया है । यह पोर्टल डीईएसडब्ल्यू द्वारा शिकायतों को शीघ्र प्रोसेसिंग में समर्थ होगा । इस पोर्टल के माध्यम से आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नं. और ईमेल पर एक एसएमएस और ई-मेल अग्रेषित किया जाएगा

जिसमें शिकायत के पंजीकरण की पुष्टि और इसका स्टेटस पता करने की सूचना मिल जाएगी । आवेदक शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए फीडबैक भी दे सकते हैं ।

(ii) कल्याण

- **वित्त वर्ष 2021-22 में, जनवरी 2022 में सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि (एएफएफडीएफ) के लिए 320 करोड़ रू. की धनराशि आबंटित की गई है । इससे मई 2018 से 284.00 करोड़ रू. मूल्य के लंबित शिक्षा अनुदान के 1.58 लाख आवेदनों और फरवरी 2020 से लंबित 36.00 करोड़ रू. मूल्य के 7583 विवाह अनुदान आवेदनों से संबंधित बैकलाग क्लीयर हो जाएगा । इस प्रकार इस पहल के माध्यम से 1.66 लाख ईएसएम लाभान्वित होंगे ।**
- वायुसेना और नौसेना के युद्ध हताहतों को भी लाभ देने के लिए मई 2020 में सेना युद्ध हताहत कल्याण निधि (एबीसीडब्ल्यूएफ) का नाम बदलकर सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण निधि (एएफबीसीडब्ल्यूएफ) कर दिया गया है। 60% से कम युद्ध हताहत दिव्यांगता जहां इस राशि को 1 लाख रु. से बढ़ाकर 4 लाख रु. प्रति हताहत किया गया है, को छोड़कर अतिरिक्त अनुग्रहपूर्व धनराशि को भी मौजूदा 2 लाख रु. से बढ़ाकर 8 लाख रु. कर दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2019-20 से प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति स्कीम (पीएमएसएस) की दर को बालकों के लिए 24000 रु. प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 30,000/- रु. प्रतिवर्ष और बालिकाओं के लिए 27,000 रु. प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 36,000/- रु. प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
- रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि (सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि से वित्त-पोषित) के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के 100% दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता की दर 1 अगस्त 2021 से 1000 रु. प्रति बच्चा प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000/- रु. प्रति बच्चा प्रतिमाह कर दी गई है।

- केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) सेवाएं सफलतापूर्वक डाइरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) भारत और (यूनिफाईड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू - एज गवर्नेंस) उमंग मोबाइल पोर्टल पर आंनबोर्ड कर दी गई हैं।
- राज्य/ संघराज्य क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) भ्रातृत्व के कल्याण की देखरेख हेतु अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख (यूटी) में राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) का गठन किया गया है।
- चेशायर होम कुष्ठ रोगियों, मानसिक दिव्यांग रोगियों और क्रांनिक स्पास्टिक/ पैराप्लेजिक तथा टीबी रोगियों की देखरेख करते हैं। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) द्वारा दिल्ली और लखनऊ तथा राफेल रायडर इंटरनेशनल चेशायर होम, देहरादून में चेशायर होम्स के लिए 9,000 रु. प्रति संवासी प्रतिवर्ष की अनुदान राशि को दिनांक 01.04.2021 से बढ़ाकर 15,000/- रु. प्रति संवासी प्रतिमाह कर दिया गया है।

(iii) पुनर्वास

- यह विभाग सुरक्षा संबंधी नौकरियों से इतर क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए तकनीकी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नई रोजगार स्कीमें शुरू करने की संभावनाओं का भी पता लगा रहा है। डीजीआर के पैनल में शामिल राज्य ईएसएम निगमों के माध्यम से सरकारी स्थापनाओं/परिसरों के लिए 'तकनीकी सेवाओं' हेतु ईएसएम जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए डीजीआर स्कीम कार्यान्वित करने हेतु दिनांक 6.2.2020 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- कार्य की प्रारंभिक अवधि को पूरा करने के बाद समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों को ईएसएम का दर्जा प्रदान करने के संबंध में अधिसूचना 16.02.2020 को जारी की गई थी । इससे अल्प सेवा कमीशन से भर्ती और भी आकर्षक बनेगी ।
- सेवामुक्त होने के पश्चात मिलिट्री रैंक का प्रयोग करने की अल्प सेवा कमीशन (एसएससी) अधिकारियों की बहुत समय से लंबित मांग को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है । सरकार के दिनांक 27.07.1983 के पूर्व आदेश को दिनांक 23.03.2021 के एक शुद्धिपत्र के माध्यम

से संशोधित कर दिया गया है जिसमें भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) का दर्जा प्राप्त करने के योग्य एसएससी अधिकारियों को सेवामुक्त होने के पश्चात अपने मिलिट्री रैंकों का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है । इस निर्णय से युवा उम्मीदवारों और मौजूदा एसएससी अधिकारियों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही एसएससी की ओर लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा ।

- डीजीआर में पैनलबद्ध सुरक्षा एजेंसियों के संचालन से संबंधित दिशानिर्देशों में और अधिक पारदर्शिता और स्पर्धा लाने के लिए व्यापक दर्जे पर संशोधन किया गया और साथ ही इसे सीपीएसई हेतु लागत प्रभावी बनाने के लिए सेवा प्रभार भी घटाए गए हैं।

(iv) स्वास्थ्य रक्षा

- फरवरी, 2019 में सरकार ने भारत और नेपाल में निवास कर रहे असम राइफल पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) सुविधाएं प्रदन करने के लिए आदेश जारी किए । मार्च, 2019 में इन सेवाओं की सुविधा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व के सैनिकों, आपात कमीशन्ड अधिकारियों (ईसीओ), अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों (एसएससीओ) और समयपूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों तक भी पहुँचाई गई ।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1.1.2020 के अनुरूप रक्षा मंत्रालय के आदेश दिनांक 8.7.2020 जारी किए गए जिसमें ईसीएचएस लाभार्थियों के 25 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात निःशक्त होने वाले बेटों को भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7.5.2018 में कथित कतिपय शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन ईसीएचएस के तहत चिकित्सीय सेवा का लाभ उठाने के लिए आश्रित माना जाएगा ।
- मौजूदा कोविड-19 महामारी के हालातों को देखते हुए और कोरोना वायरस की चपेट में आने की ईसीएचएस लाभार्थियों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए साथ ही ईसीएचएस पालिक्लीनिकों में भीड़ कम करने के लिए विभिन्न सरकारी आदेशो के जरिए वर्ष के दौरान पालिक्लीनिक के

रेफरल के बिना दवाइयों की खरीद एवं प्रतिपूर्ति के लिए विशेष मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है ।

- भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने अपने दिनांक 25.3.2022 के पत्र के जरिए प्रतिपूर्ति आधार पर ओपन मार्केट से अनुपलब्ध (एनए) दवाइयों और उपभोज्य वस्तुओं की खरीद का समय 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक करने का निर्णय लिया है। यह इस शर्त के अधीन होगा कि खरीदी जाने वाली दवाइयों और उपभोज्य वस्तुओं का अधिकतम मूल्य सामान्य परिस्थितियों में 25,000/-रू. तक और विशेष परिस्थितियों में 75,000/- रू. तक हो । कैंसर की दवाइयों के लिए भी खरीद के अधिकतम मूल्य को हर बार 2 लाख रु. से बढ़ाकर 5 लाख रू. कर दिया गया है ।
- 2021 में हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद ईसीएचएस लाभार्थियों की बड़ी संख्या को सुविधाएं प्रदान करने के लिए योल और भुवनेश्वर में दो नए क्षेत्रीय केन्द्रों को संचालित किया गया ।